

अब छत्तीसगढ़ में घर-बैठे करा सकेंगे हाइपोथीकेशन टर्मनिशन

चर्चा में क्यों?

9 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के परविहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि परविहन वभाग द्वारा 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' को और सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब हाइपोथीकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परविहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि इसके तहत हाइपोथीकेशन जोड़ने और समाप्तिके संबंध में आरटीओ कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा। प्रदेशवासी अब घर-बैठे हाइपोथीकेशन (एचपी) से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
- लगभग 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सभी दस्तावेज़ों और एनओसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े।
- वाहन स्वामी के द्वारा एक बार, जब बैंक में ऋण दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाएगा, तो डाटा सीधे बैंक द्वारा वाहन डाटाबेस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परविहन वभाग द्वारा एचपीटी सेवा को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः हो जाएगा।
- परविहन वभाग द्वारा संचालित 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' योजना लोगों की सुविधा के लिये एक महत्त्वपूर्ण योजना है। परविहन वभाग से संबंधित जनसुविधाएँ इतनी सहजता से घर-बैठे मलिन से लोगों को अब बार-बार परविहन वभाग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके चलते आवेदकों के समय और धन की बचत होगी।
- इसके तहत केवल एक साल से कम की अवधि में 11 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 7 लाख 50 हजार 934 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 3 लाख 67 हजार 785 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसमें लोगों को परविहन संबंधी 22 सेवाएँ उनके घर के द्वार पर पहुँचाकर दी जा रही हैं।
- परविहन आयुक्त ने बताया कि परविहन संबंधी सेवाओं में वसतिार के लिये राज्यभर में परविहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती 26 जनवरी को घोषणा की थी। इसके परिपालन में लगभग एक हजार परविहन सुविधा केंद्र पूरे राज्य में खोले जा रहे हैं। वहीं परविहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब पाँच हजार युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना भी बनेगी।
- वाहन चालकों की सुविधा के लिये ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण-पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके तहत अब तक प्रदेश के 1.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इस यूजरफ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परविहन मंत्री मुहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिये मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था। कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक, दोनों को सुविधा हुई है।
- इसी तरह आरटीओ कार्यालय को जीओ फेन्सिंग कर फोटो फटिनेस ऐप के माध्यम से गाड़ियों का फटिनेस जारी करने वाला भी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस ऐप के आने से प्रभावी और पारदर्शी फटिनेस कार्यवाही करने में सहायता मिली है।
- इस सुविधा में स्वैच्छिक 'आधार' प्रमाणीकरण से परविहन सेवाएँ तत्काल प्राप्त होंगी। इस सेवा के शुरू होने पर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ परविहन वभाग ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधित सेवाओं को आधार से एकीकृत कर रहा है।